

यूरोपीय संघ(EU) ने ऐप स्टोर में अवशिवास उल्लंघन के लिये एप्पल पर जुर्माना लगाया

[स्रोत:द हट्टि](#)

प्रतस्पर्द्धियों से नपिटने और अपने ऐप स्टोर पारस्थितिकी तंत्र के भीतर शुल्क लगाने के संबंध में, एप्पल पर अवशिवास कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। यह तकनीकी दगिगज के खिलाफ [यूरोपीय संघ](#) के हालिया **1.8 बलियिन यूरो के जुर्माने** से पता चलता है।

- एप्पल पर उपयोगकर्त्ताओं को वैकल्पिक सदस्यता वकिलों के बारे में सूचति करने की क्षमता को सीमति करके और इन-ऐप खरीदारी के लक्षिष शुल्क लगाकर सपोर्टफाई (Spotify) जैसे प्रतस्पर्द्धियों की तुलना में अपनी स्वयं की संगीत स्ट्रीमिंग सेवा, "Apple Music" का गलत तरीके से पक्ष लेने का आरोप लगाया गया था।
- यूरोपीय आयोग ने पाया कि एप्पल के कार्यों ने यूरोपीय संघ के अवशिवास कानूनों का उल्लंघन किया, विशेष रूप से इसकीप्रमुख बाज़ार स्थिति के दुरुपयोग तथा प्रतस्पर्द्धा में बाधा डालने वाले परचालन-वरिधी प्रावधानों के संबंध में।
- यह जुर्माना प्रतस्पर्द्धा वरिधी प्रथाओं के खिलाफ यूरोपीय संघ के रुख को रेखांकति करता है और साथ ही भवष्य के तकनीकी अवशिवास मामलों के लिये एक मसाल कायम करता है।
- एप्पल ने प्रतस्पर्द्धा-वरिधी व्यवहार का कोई सबूत नहीं है यह बताते हुए अवशिवास के आरोपों से इनकार किया है और साथ ही यूरोपीय संघ के नरिणय के खिलाफ अपील करने की योजना बनाई है।

और पढ़ें... [भारत में बाज़ार एकाधिकार और कानून](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/eu-fines-apple-for-antitrust-violations-in-app-store>